उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 38/2018/1091 /30-3-18-04बी/2018

लखनऊ, दिनॉक 27 मार्च, 2018

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में जनपद-गोरखपुर में ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र (डी0टी0आई0) की स्थापना हेतु धनराशि रू0 489.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 213.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-36/2018/889/30-3-18-04बी/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के स्थान पर त्रुटिवश सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 26-03-2018 के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर अंकित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के स्थान पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 26-03.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-38/2018/1091(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग।
10- गार्ड फाइल।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in